न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 233/2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम इन्द्रजीत सहनी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02/02/2021		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक– 1770/म0नि0को0, दिनांक–19.11.2020 से प्राप्त सिमरी थाना कांड सं0–141/20 दिनांक 06.07.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AM-6510** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी इन्द्रजीत सहनी, पिता– भोला सहनी, साकिन– शिवदासपुर, पो0– रामपुर डीह, थाना– विशनपुर, जिला– दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उक्त कांड आवेदिका मंदाकिनी, पिता– श्री राम लखन ठाकुर, सा0– बहादुरपुर वार्ड नं0– 26, कान्ति भवन, थाना– नगर, जिला– समस्तीपुर के लिखित आवेदन पर उक्त जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AM-6510** के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदनानुसार आवेदिका अपने स्कूटी रजि0 नं0– BR33S-0439 से दरभंगा आ रही थी। इसी क्रम में एकमी बायपास रोड में विपरीत दिशा से आ रहे एक स्पेलेंडर मोटरसाईकिल पर दो सवार व्यक्ति उसपर दो गैलेन लादे हुए था जो गलत साईड से आकर उनकी स्कूटी में धक्का मार दिया जिससे वे काफी जख्मी हो गई एवं बांया हाथ टुट गया तथा बाईक क्षतिग्रस्त हो गया। इसी क्रम में उक्त मोटरसाईकिल सवार भागना चाहा परन्तु कुछ राहगीर व्यक्ति उस दोनों बाईक सवार को नशे की हालत में होने तथा दोनों गैलन में शराब को देखकर पकड़कर रखा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने पर वहाँ के लोग उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिये। पुलिस द्वारा दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त वाहन से ले जा रहे गैलन की तलाशी ली गई तो एक से 10 (दस) लीटर देशी चुलाई शराब तथा एक से 05 (पाँच) लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी निर्दोष हैं। उन्हें गलत रूप से इस वाद में फसाया गया है सूचक द्वारा गलत तथ्य बनाया गया है। अतः उक्त जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AM-6510** से दो गैलन में कुल 15 (पन्द्रह) लीटर अवैध देशी चुलाई शराब लाद कर ले जाने के क्रम में उक्त मोटरसाईकिल से हुई दुर्घटना के कारण ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दिये गये सूचना पर पुलिस बल द्वारा विधिवत् तलाशी के पश्चात उक्त शराब को बरामद करते हुए

उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो, जबकि विपक्षी के वाहन से लाद कर ले जा रहे दो गैलन में से देशी चुलाई शराब दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष बरामद हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिमरी थाना कांड सं0–141/20 दिनांक 06.07.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AM-6510** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा